

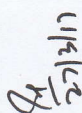
भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	मुख्य वन संरक्षक, बैतूल द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर वनग्राम मालनी-II को उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र भौरा के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-154 के 285.700 हेक्टेयर वन क्षेत्र में विस्थापन के प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 27.03.2017

स्थान: भोपाल


 (सुनील अग्रवाल)
 भा.व.से.
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल